an>

title: Need to ensure construction of earthquake-resistant building structures in Delhi.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान दिल्ली की जनता को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए की जा रही कार्यवाही और व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली में भूकंप के झटकों की संख्या बीते वर्षों में बढ़ी है और स्टडीज के मुताबिक 1983-2033 के 50 इयर विंडो में 7 रिक्टर स्केल तक दिल्ली में भूकंप आने की संभावना है जिससे एक बहुत बड़ी मात्रा में जान-माल की हानि की आशंका है।

दिल्ली में पिछली राज्य सरकारों ने दिल्ली को आधुनिक सुविधाएं देने के प्रयास में भूकंप के लिए अति संवेदनशील जगहों पर निर्माण किया जिसमें यमुना नदी के फ्लड प्लेन्स को भी शामिल किया गया, यहाँ तक कि दिल्ली सचिवालय और दिल्ली पुलिस कमिश्नर आफिस भी अति संवेदनशील बिल्डिंग्स में आते हैं।

दिल्ली में अभी भी बिल्डर्स द्वारा अनाधिकृत और अति संवदेनशील जोन में बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भूकंप रोधी डिजाईन और स्टैण्डर्ड को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि सिविक बॉडीज भी इसके लिए लापरवाही बरतती हैं। सम्पूर्ण पश्चिम दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा सहित यमुना और हिंडन नदियों के फ्लड प्लेन भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। मगर इन जगहों में चल रहे बिल्डिंग निर्माण में पूरी तरह लापरवाही दिखाई दे रही है और जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर की जनता को उठाना पड़ सकता है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि दिल्ली के लिए प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रख कर हाउसिंग कानून का निर्माण करे जिससे आने वाले समय में आपदाओं से होने वाली बड़ी क्षति को रोका जा सके।